क्रम-संख्या—704

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०—4

लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०—41

(लाइसेन्सशुदा पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 9 सितम्बर, 1986

भाद्रपद 18, 1908 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1632/सत्रह-वि-1-1 (क) 28-1986

लखनऊ: 9 सितम्बर, 1986

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1986 पर दिनांक 8 सितम्बर, 1986 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 1986 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1986

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 1986)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

[भारत गणराज्य के सैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है]

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1— (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1986 कहा जायगा।

(2) यह 21 जून, 1986 को प्रवृत हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1966 की धारा 29 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 29 में, उपधारा (6) में, प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द और अंक "30 जून, 1986" के स्थान पर, शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1986" रख दिये जायेंगे।

धारा 35 का संशोधन

3--मूल अधिनियम की धारा 35 में, उपधारा (6) में, प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द और अंक "30 जून, 1986" के स्थान पर, शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1986" रख दिये जायेंगे।

निरसन और अपवाद

4--(1) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1986 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 9 सन् 1986

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
श्रीनाथ सहाय,
सचिव।

No. 1632 (2) /XVII-V-1-1 (KA) -28-86
Dated Lucknow, September 9, 1986

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Sahakari Samiti (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 1986 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 17 of 1986) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 8, 1986.

THE UTTAR PRADESH CO-OPERATIVE SOCIETIES (SECOND AMENDMENT) ACT, 1986

(U. P. Act No. 17 of 1986)

[As passed by the U. P. Legislature]

An

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965

It is hereby enacted in the Thirty-seventh Year of the Republic of India as follows :

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Co-operative Societies (Second Amendment) Act, 1986.

(2) It shall be deemed to have come into force on June 21, 1986.

Amendment of section 29 of U.P. Act no. XI of 1966

2. In section 29 of the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (6), in the first proviso, *for* the word and figures "June 30, 1986" the word and figures "December 31, 1986" shall be *substituted.*

Amendment of section 35

3. In section 35 of the principal Act, in sub-section (6), in the proviso, *for* the word and figures "June 30, 1986", the word and figures "December 31, 1986" shall be *substituted,*

Repeal and saving

4. (1) The Uttar Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Ordinance, 1986, is hereby repealed. U.P. Ordinance no. 9 of 1986.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance, referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
S. N. SAHAY,
Sachiv.

पी0एस0यू0पी0--ए0पी0 80 सा0(विधा0)--(1514)--1986--850 (मेक0)।